मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 17268 / /22/वि 7/रो0यो0/06 भोपाल, दि0 31/10.2006

प्रति,

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कलेक्टर
जिला मण्डला, डिण्डोरी, उमरिया, शहडोल, धार, शिवपुरी, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, बैतूल, झाबुआ, रतलाम, बालाघाट, सीधी, छतरपुर, श्योपुर, सिवनी, टीकमगढ़ म0प्र0

2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला मण्डला, डिण्डोरी, उमरिया, शहडोल, धार, शिवपुरी, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, बैतूल, झाबुआ, रतलाम, बालाघाट, सीधी, छतरपुर, श्योपुर, सिवनी, टीकमगढ़ म0प्र0

विषय: म0प्र0 राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत मेट के प्रशिक्षण के संबंध में ।
संदर्भ: इस विभाग का पत्र क्रमांक 5998/22/वि 7/रो0यो0/06 दिनांक 10.10.06

-0-

कृपया विषय के संबंध में विभाग के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । जिसके द्वारा मेट का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाकर प्रशिक्षित मेट का प्रमाणीकरण सी0आई0डी0सी0 से कराये जाने के निर्देश दिये गये थे । जनपद स्तर पर मेट का चयन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 14038/22/वि 7/ग्रारो/06 दिनांक 4.09.06 के अनुसार किया जाना था। सी0आई0डी0सी0 को अब तक किसी भी मेट को सर्टिफिकेशन का प्रस्ताव आपकी ओर से नहीं भेजा गया है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मेट के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया गया है।

एतद् द्वारा संलग्न सूची अनुसार 02 मास्टर ट्रेनर आपके जिले में निर्धारित किये जाते है। कृपया इनकी सेवाओं का उपयोग करते हुये जिले में जनपद पंचायत स्तर पर चयनित मेट का 05 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम तत्काल आयोजित किया जावे।

इस प्रकार आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र का दिनांक 10.11.06 तक पूर्ण होना सुनिश्चित कर प्रशिक्षित मेट की सूची विभाग को उपलब्ध करावें ।

(प्रदीप भार्गव) 31.10.06
प्रमुख सचिव
म0प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

... निरंतर ...

पृ०क्रमांक 17269/ /22/वि 7/से०यो०/06 भोपाल, दि० 31.10.2006

प्रतिलिपि:

1. Manager Projectcs, Construction Industry Development Council, 801 (8th Floor), Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi-110019 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रेषित ।
2. मुख्य लेखाधिकारी, एन०आर०ई०जी० योजना, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल
3. संयुक्त आयुक्त (वि 7), ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल ।
4. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत .................................. मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रेषित ।

प्रमुख सचिव
म०प्र० शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

आयुक्त कार्यालय
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

क्र. 7103 /मु.अ./22/वि–10/ग्रा.यां.से./06 भोपाल, दिनांक 30/11/2006

प्रति,

जनपद पंचायत (समस्त),
मध्यप्रदेश।

विषयः तकनीकी मार्गदर्शिका ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भः इस कार्यालय का पत्र क्र. 4468/1260/22/वि–10/ग्रायांसे/06 दिनांक 28.7.06, पत्र क्र. 5674/1533/212/वि–10 दिनांक 29.9.06 तथा पत्र क्र. 6633/1553/22/वि–10/ग्रायांसे/06 दि. 13.11.06

....

संदर्भित पत्रों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत को तीन–तीन तकनीकी मार्गदर्शिका उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है, किन्तु भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि कतिपय ग्राम पंचायतों में तकनीकी मार्गदर्शिका उपलब्ध नहीं कराई गई है अथवा एक ही प्रति उपलब्ध कराई गई हैं।

कृपया विभागीय निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक ग्राम पंचायत को तकनीकी मार्गदर्शिका तीन प्रतियों में उपलब्ध कराई गई है इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न प्रारूप में ई–मेल के द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(ए.के.चौधरी)
मुख्य अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

पृ.क्र. 7104 /मु.अ./22/वि–10/ग्रा.यां.से./06 भोपाल, दिनांक 30/11/2006

प्रतिलिपिः

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को ओर सूचनार्थ। कृप्या जिले की समस्त जनपदों से वांछित प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

# प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पंचायत ..... जिला ..... के अंतर्गत कुल ..... ग्राम पंचायतें है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को इस कार्यालय द्वारा तकनीकी मार्गदर्शिका की तीन-तीन प्रतियाँ उपलब्ध करा दी गई है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत.....
जिला .....

# विकास आयुक्त कार्यालय
## विन्ध्याचल भवन, भोपाल

क्रमांक / 7123 / मु.अ. / 22 / वि–10 / ग्रा.यां.सेवा / 06, भोपाल, दिनांक : 01 / 11 / 2006

प्रति,

कलेक्टर (समस्त),
मध्य प्रदेश ।

विषय :– न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए संशोधित न्यूनतम वेतन की दरों के संबंध में ।

::0::

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन इंदौर द्वारा अपने पत्र क्र./4/17/अ./पांच/2006/29796–30195 इंदौर, दिनांक 06.10.2006 (पत्र की छायाप्रति संलग्न है) के तहत न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए दरें संशोधित की गई हैं, जो कि 01.10.2006 से प्रभावशील है । कृषि नियोजन कार्यों में संलग्न अकुशल श्रमिक वर्ग के लिए 63.00 रुपये प्रतिदिन की दर निर्धारित की गई है । ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित रोजगार मूलक कार्यों के लिए भी यही दर लागू है । अतएव इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे :–

1. दिनांक 01.10.2006 के बाद किये जाने वाले कार्यों में मजदूरी का भुगतान संशोधित दर के अनुसार कराया जावे ।
2. मजदूरी की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप जिले में प्रचलित सी.एस.आर. को अद्यतन करने हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक तत्काल आहूत की जावे ।
3. यदि कहीं दिनांक 01.10.2006 के पश्चात् किये गये कार्य का भुगतान हो चुका हो, तो ऐसे श्रमिकों को बढ़ाई गई दर से एरियर्स भुगतान की व्यवस्था की जावे ।
4. मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संचालित कार्यों हेतु अकुशल श्रमिकों के लिये भी यही दर लागू होगी । अतएव संबंधित कियान्वयन एजेन्सियों को निर्देश देये जावे ।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार

(ए.के. चौधरी),
मुख्य अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

पृ. क्रमांक / 7124 / मु.अ. / 22 / वि–10 / ग्रा.यां.सेवा / 06, भोपाल, दिनांक : 01 / 11 / 2006

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, म0प्र0 ।
2. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, समस्त संभाग, म0प्र0 ।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधि., जिला पंचायत की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, समस्त जिला, म0प्र0 ।
5. समस्त कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म0प्र0 रोजगार गारंटी योजना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

मुख्य अभियंता

# मध्यप्रदेश शासन
## पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रं. 26 /22 /वि–7/ग्रा. रो. गां/2006 भोपाल दिनांक 2/1/07

प्रति

1 समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

2 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषयः– **ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न मदों के अन्तर्गत जारी निर्माण कार्यों से स्वीकृतियों में वर्क चार्ज एवं आकस्मिक व्यय को सम्मिलित करने बाबत।**

———00———

माह नवम्बर में विभिन्न जिलों में निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि कुछ जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति, निर्माण एजेन्सी द्वारा प्राक्कलन में प्रस्तावित work charge एवं contingency की राशि कम करते हुए स्वीकृति जारी की जा रही हैं इसके अतिरिक्त कहीं–कहीं पर work charge एवं contingency का प्रावधान प्राक्कलन में ही नहीं किया जा रहा है, यह स्थिति उचित नहीं है। ग्रामोए यांत्रिकी सेवा के एस0ओ0आर0 ( दिनांक 01 सितम्बर 2003 से प्रचलित ) के अनुसार निर्माण कार्य के प्राक्कलन में निम्नानुसार प्रावधान work charge एवं contingency हेतु रखा जाना चाहिए।

कंटिंजेंसी हेतु :

| | | |
|---|---|---|
| 1 | रूपये 05.00 लाख तक | 3 प्रतिशत |
| 2 | रूपय 05.00 लाख से अधिक | 2 प्रतिशत |

वर्क चार्ज हेतु :

| | | |
|---|---|---|
| 1 | रूपये 02.00 लाख तक | 2 प्रतिशत |
| 2 | रूपये 02.00 लाख से अधिक | 1.5 प्रतिशत |

Letter ...ch

उक्त संबंध में स्पष्ट किया जाता है, कि एस0ओ0आर के प्रावधान अनुसार सभी निर्माण कार्यों के प्राक्कलन में work charge एवं contingency की राशि सम्मिलित कर प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावे।

(प्रदीप भार्गव) 30.12.05
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,भोपाल

क्रं.27/22/वि-7/ग्रा. रो .गां/2006 भोपाल दिनांक 2/1/06

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख अभियंता, मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख वन संरक्षक म.प्र. भोपाल।
4. संचालक कृषि, कृषि संचालनालय भोपाल।
5. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विन्ध्याचल भोपाल।
6. विकास आयुक्त, कार्यालय म.प्र. की समस्त शाखाएं।

प्रमुख सचिव 30.12.05
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,भोपाल

Letter tech.

# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2/1/2007

-:: आदेश ::-

क्रमांक 17/22/वि-7/MPREGS/2006, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसूची 2 के पैरा 26 में योजनांतर्गत कार्यरत् व्यक्ति की मृत्यु अथवा दुर्घटना फलस्वरूप स्थाई अपंगता की स्थिति में क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रूपए 25000/- (पच्चीस हजार रूपए मात्र) तक का भुगतान क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा संबंधित वैध उत्तराधिकारी अथवा संबंधित व्यक्ति को (यथास्थिति अनुसार) किए जाने का प्रावधान है।

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के अंतर्गत गठित सशक्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.9.2006 में पारित निर्णय अनुसार ऐसे प्रकरणों में क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृति के अधिकार जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रत्यायोजित किए जाते है।

(वसीम अख्तर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
भोपाल

क्र. 48/वि-7 2/1/07

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त आयुक्त (उज्जैन संभाग छोड़कर) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, एसआइआरडी, आधारतल, जबलपुर की ओर सूचनार्थ
4. कलेक्टर / कार्यक्रम समन्वयक समस्त 18 जिले- बालाघाट, बडवानी, बैतूल, छतरपुर, धार, डिंडोरी, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, मंडला, सतना, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़ एवं उमरिया की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्यकार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक समस्त 18 जिले- बालाघाट, बडवानी, बैतूल, छतरपुर, धार, डिंडोरी, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, मंडला, सतना, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़ एवं उमरिया की ओर सूचनार्थ।

(वसीम अख्तर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
1 अरेरा हिल्स तिलहन संघ भवन,भोपाल

क्र. 634/मु.अ./रा.ग्रारो.गां/2006 भोपाल दिनांक 3/01/07

प्रति,

जिला कार्यक्रम समन्वयक/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला–झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल, बडवानी, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट, छतरपुर, बैतूल, खरगौन, श्योपुर, धार, खण्डवा, सतना, सिवनी, डिण्डोरी (मध्यप्रदेश)।

विषयः– सहायक यंत्री (एन.आर.ई.जी.) के वेतन आहरण के संबंध में।

—00—

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद पंचायत में सहायक यंत्री की पद स्थापना की गई है। जनपद पंचायत स्तर पर पदस्थ सहायक यंत्रियों का वेतनमान रुपये 8000–13500 है, जबकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का वेतनमान 6500–10500 है। सहायक यंत्री पद की वरिष्ठता को दृष्टिगत रखते हुए सहायक यंत्री का वेतन जिला पंचायत से आहरित किये जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। वेतन आहरण के लिए सहायक यंत्री को चालू माह की दौरा दैनंदिनी तथा आगामी माह हेतु दौरा कार्यक्रम जिला पंचायत को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 634/मु.अ./रा.ग्रा.रो.गां/2006 भोपाल, दिनांक 3/01/07

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त आयुक्त (वित्त), म0प्र0 राज्य रोजगार गारंटी योजना, भोपाल।
2. सहायक यंत्री, म0प्र0 राज्य रोजगार गारंटी योजना, जनपद पंचायत (समस्त)।
3. कार्यक्रम अधिकारी, म0प्र0 राज्य रोजगार गारंटी योजना, जनपद पंचायत (समस्त)।
4. विकास आयुक्त कार्यालय की शाखा 3, 7 एवं 10 की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल

क्र. 464/F.No /22/वि–7/ग्रारो/2007 भोपाल, दिनांक 9/1/2007

प्रति,

1. संचालक
   महात्मा गांधी राज्य प्रशिक्षण संस्थान
   अधारतल
   ज़बलपुर
2. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   जिला/जिला पंचायत– झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल, बड़वानी, खरगौन, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट, छतरपुर, बैतूल, खंडवा, श्योपुर, धार, सिवनी, सतना एवं डिण्डौरी, मध्यप्रदेश।

**विषयः मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत मेट प्रशिक्षण के संबंध में**

**संदर्भः इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 14564/22/वि–7/ग्रारो/06 दिनांक 14.9.06**

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र के 2 की कंडिका–3 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :

मट्स प्रशिक्षण के लिए नियुक्त मास्टर ट्रेनर को यदि आवास एवं भोजन की व्यवस्था स्वयं ~~करते~~ करते हैं उन्हें रूपए 750/– प्रतिदिन मानदेय एवं यदि आवास एवं भोजन की व्यवस्था प्रशिक्षण संस्थान में की जाती है तो उन्हें रूपए 500/– प्रतिदिन मानदेय दिया जावेगा।

शेष शर्तें संदर्भित पत्रानुसार रहेंगी।

(वसीम अख्तर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

क्र. 465/F.No /22/वि–7/ग्रारो/2007 भोपाल, दिनांक 9/1/2007

प्रतिलिपि :

Manager Projects, Constructions Industry Development Council, 801(8th Florr), Hemkunt Chambers, 80, Nehru Place, New Delhi-110019 [illegible] हेतु अग्रेषित।

[illegible]

(वसीम अख्तर)

[illegible]

पृ.क्रमांक /169/ मु.अ. / ग्रा.रो.गा. / 2007

प्रतिलिपि :

दिनांक 19 जनवरी,2007

1. परियोजना अधिकारी (तकनीकी) मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिला पंचायत बालाघाट, बडवानी, बैतूल, छतरपुर, धार, डिण्डोरी, झाबुआ, खण्डवा, खरगोन, मण्डला, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, श्योपुर, सतना, उमरिया (म.प्र.)।

2. कार्यक्रम अधिकारी, मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जनपद पंचायत (समस्त)

(ए.के. चौधरी)
मुख्य अभियंता
म.प्र. ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
1, अरेरा हिल्स, तिलहन संघ, भोपाल.

क्रमांक/ 173 /22/वि–7/ग्रा.रो.गा./07, भोपाल, दिनांक :23/01/07

प्रति,

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर
   जिला–मण्डल, डिण्डौरी, उमरिया, शहडोल, धार, शिवपुरी, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, सतना, बालाघाट, सीधी, छतरपुर, श्योपुर, सिवनी, टीकमगढ़ मध्यप्रदेश
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
   जिला–मण्डल, डिण्डौरी, उमरिया, शहडोल, धार, शिवपुरी, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, सतना, बालाघाट, सीधी, छतरपुर, श्योपुर, सिवनी, टीकमगढ़ मध्यप्रदेश

विषयः– मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत किये जा रहे कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण के लि पदार्थ परीक्षण प्रयोग शालाओं का उपयोग।

विषय के संबंध में समय समय पर विभाग द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि ग्रा रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों में सर्वोच्च स्तर की गुणवत्ता को बनाये रखने सभी आवश्यक कदम उठाये जाये। इस संबंध में पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाला (Material Testing Lab.) की भूमिका महत्वपूर्ण है। वर्तमान में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के तथा लोक निर्माण विभाग के संभागो के तकनीकी शिक्षा संस्थानो में पदार्थ परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित है।

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों तथा क्रियान्वयन एजेन्सियो द्व किये जाने वाले कार्यो के लिए विभिन्न परीक्षण यथा :–

1. सड़क निर्माण हेतु मिट्टी की Liquid limit, Plastic limit तथा CBR value test
2. मिटटी हेतु MDD, Drydensity तथा Moisture content test
3. रेत तथा मिटटी हेतु sieve analysis Grading test.
4. मिटटी हेतु Flakiness index, water absarption test.
5. सीमेंट कांक्रीट हेतु compressive strength test, slump test आदि।

किये जाने आवश्यक है। इस हेतु आपके जिलें में संचालित प्रयोगशालाओं में परीक्षण की सु सुविधायें उपलब्ध है, यह सुनिश्चित किया जावे। यदि इसमें कोई कमी/कठिनाई है तो इस संबंध में पू विवरण सहित एवं निराकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराया जाये।

(ए.के. चौधरी) 23/1/07
मुख्य अभियंता
म.प्र. ग्रामीण रोजगार गारंटी
परिषद, भोपाल

C:\Documents and Settings\IBM\My Documents\Blind Letter.doc

पृ.क्रमांक/174/22/वि-7/ग्रा.रो.गा./07, भोपाल, दिनांक 23/01/07

प्रतिलिपि

1. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विंध्याचल भवन भोपाल
2. समस्त कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्य प्रदेश
3. समस्त कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश
4. समस्त कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश

उपरोक्तानुसार दर्शाए गये सामग्री परीक्षण हेतु प्रयोगशालाओं में एक्यूपमेंट, कार्यशील अवस्था में होना सुनेश्चित करें।

(ए.के. चौधरी)
मुख्य अभियंता
म.प्र. ग्रामीण रोजगार गारंटी
परिषद, भोपाल

C:\Documents and Settings\SM\My Documents\Milind\Letter.doc

# मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद
## विन्ध्याचल भवन, भोपाल

क्र. 7096/मु.अ./22/वि–7/NREG/06 भोपाल, दिनांक 30/11/20

प्रति,

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, जिला–झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल, बडवानी, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ, बालाघाट, छतरपुर, बैतूल, खरगौन, श्योपुर, धार, खण्डवा, सतना, सिवनी, डिण्डोरी (मध्यप्रदेश)।

विषयः जिले में मशीन रोल (Machine Cell) के गठन बाबत्।

....

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संपादित वृक्षारोपण, सड़क व तालाब आदि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिले में मशीनरी प्रमुख रूप से रोड रोलर, वाटर टैन्कर की उपलब्धता समुचित मात्रा में रहे इस हेतु जिला स्तर पर मशीन सेल का गठन किया जावे, जिसमें निम्नानुसार अधिकारी होगें :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, म.प्र.रा.रो.गारंटी परिषद – समन्वयक/अध्यक्ष
2. कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि/जल संसाधन/ग्रा.यां.सेवा – सदस्य
3. वन मण्डलाधिकारी, समस्त – सदस्य
4. उपसंचालक, कृषि – सदस्य
5. सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी – सदस्य
6. प्रबंधक, जिला अंतव्यवसायी सह. समिति – सदस्य
7. परियोजना अधिकारी, म.प्र.रा.रो.गारंटी परिषद – सदस्य सचिव

**मशीन सेल का कार्य**

1. एन.आर.ई.जी. योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यो हेतु प्रत्येक माह मशीनरी की मॉग एकत्रित करना एवं रोड रोलर तथा वाटर टैन्कर्स के मालिकों को अवगत कराना।
2. एन.आर.ई.जी.ए. योजना के अंतर्गत निर्मित परस्पेक्टिव प्लान में प्रस्तावित किए गये निर्माण कार्यो हेतु मशीनरी जैसे रोड रोलर एवं वाटर टैन्कर्स की अनुमानित संख्या का आक्कलन करना।
3. निजी व्यक्तियों को मशीनरी क्रय कर कियान्वयन एजेन्सियों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रोत्साहित करना एवं जिला अंतव्यवसायी सह.

इच्छुक व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराना। इस हेतु आई.टी.आई. उत्तीर्ण बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता दी जावे।

रोड रोलर एवं वाटर टैन्कर्स द्वारा कराये जाने वाले कन्सालीडेशन एवं पानी की पूर्ति की एस.ओ.आर. दरें प्रचलित बाजार दरों के अनुकूल नहीं हैं, जिससे कार्य specification के अनुरूप सम्पन्न कराने में कठिनाई आ रही है। अतः बाजार दरें प्राप्त कर इनका पुर्ननिर्धारण किया जावे। फील्ड में आवश्यक मशीनरी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु Machine Cell की बैठक माह में एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जावे।

उपरोक्त जानकारी के परिप्रेक्ष्य में मशीन सेल गठित कर 15 दिसंबर 06 के पूर्व प्रथम बैठक का आयोजन कर इस कार्यालय को सूचित करें।

(ए.के.चौधरी)
मुख्य अभियंता
मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

पृ.क्र. 7097/मु.अ./22/वि--/NREG/06 भोपाल, दिनांक 30/11/2006

प्रतिलिपि : संभागीय

1. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश।
2. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, एन.आर.ई.जी., जिला–झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल, बडवानी, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ, बालाघाट, छतरपुर, बैतूल, खरगौन, श्योपुर, धार, खण्डवा, सतना, सिवनी, डिण्डोरी (मध्यप्रदेश)।
3. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल।
4. संयुक्त आयुक्त, मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद, मुख्यालय, भोपाल।
5. समस्त कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, म.प्र.।

मुख्य अभियंता
मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
–00–

क्र0 1434 /22/वि–7/ग्रा.रो.यो./2007 भोपाल, दिनांक 24/01/2007

प्रति,

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर
जिला–मण्डला, डिण्डौरी, उमरिया, शहडोल, धार, शिवपुरी, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, बैतूल, झाबुआ, सतना, बालाघाट, सीधी, छतरपुर, श्योपुर, सिवनी, टीकमगढ़ मध्यप्रदेश
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
जिला–मण्डला डिण्डौरी, उमरिया, शहडोल, धार, शिवपुरी, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, बैतूल, झाबुआ, सतना, बालाघाट, सीधी, छतरपुर, श्योपुर, सिवनी, टीकमगढ़ मध्यप्रदेश

विषयः– म.प्र. ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत सीमेंट–कांक्रीट खड़न्जा निर्माण के संबंध में।

जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि आम जनता द्वारा ग्रामों में सीमेंट–कांक्रीट खड़न्जा निर्माण की मांग बहुतायत से की जा रही है। इस संबंध में सांसदों एवं विधायकों के द्वारा भी प्रस्ताव दिए जाकर योजना में लगने वाली (Material component) सामग्री की पूर्ति सांसद/विधायक निधि से करने हेतु सहमति दी जा रही है।एन.आर.ई.जी योजना की गाईड लाईन में यह व्यवस्था है कि अन्य योजनाओं के साथ इसका कन्वर्जेन्स Convergence किया जा सकता है। अतएव वरिष्ठ स्तर पर विचार उपरांत एन.आर.ई.जी. के अन्तर्गत सीमेंट–कांक्रीट खरंजा निर्माण हेतु सांसद/विधायक निधि अथवा अन्य मद से सामग्री हेतु राशि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. सीमेंट–कांक्रीट खड़न्जा निर्माण के ऐसे प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु ग्रामों के आंतरिक मार्ग (जिसके दोनों ओर मकान बने हो) अथवा 500 मीटर तक की दूरी पर होने के कारण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में सम्मिलित नहीं किये गये ग्रामो का चयन किया जायेगा। इस हेतु उपयंत्री द्वारा प्राक्कलन दो भागो में तैयार किया जावेगा। प्रथम भाग में कुल के लागत 50 प्रतिशत (लगभग) की सीमा में लगने वाली सामग्री का आंकलन कर उसको निर्माण स्थल पर एकत्रित करने का प्राक्कलन होगा। द्वितीय भाग में शेष कार्य का जिसमें मुख्यतः श्रमिको की आवश्यकता होगी, का आंकलन किया जाकर उसके क्रियान्वयन का प्राक्कलन होगा। इसमे अकुशल/कुशल मानवीय श्रम के साथ बची हुई निर्माण सामग्री को शामिल किया जायेगा। इस प्रकार के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन यंत्री द्वारा दी जावेगी।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अनुसार 500 से अधिक आबादी के सामान्य क्षेत्र तथा 250 से अधिक आबादी के आदिवासी क्षेत्र के ग्राम जो कि 500 मीटर दूरी तक मुख्य मार्ग से दूर है, को जुडे हुये ग्रामों की श्रेणी में माना जाता है, ऐसे ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए बनाई जाने वाली concrete Road के प्राक्कलन, डिजाईन/ड्राईंग PMGSY हेतु निर्धारित स्पेशीफिकेशन व मापदण्डों के अनुरूप होगें।

3. उपरोक्तानुसार सीमेंट–कांक्रीट खड़न्जा निर्माण के ऐसे प्रकरण जिनमें दो विभिन्न मदो से दी जानेवाली राशि का समावेश होगा, की प्रशासकीय स्वीकृति जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर के द्वारा दी जावेगी। कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति देते समय अलग अलग मदो से स्वीकृति की जानेवाली राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा। इन कार्यो के निर्माण स्थल पर प्रदर्शित किये जानेवाले सूचना फलक (Information Board) पर भी समेकित की गई योजनाओ की राशि का पूर्ण विवरण दिया जावेगा।

[illegible] के पश्चात प्रत्येक योजना हेतु अलग अलग [illegible] खाते खोले जायेंगे। योजना की राशि ग्राम पंचायत के खाते मे जमा होने के [illegible] ग्राम पंचायत द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले कार्यो मे सामग्री एवं मजदूरी का अनुपात 40 : 60 सुनिश्चित किया जायेगा। किये जा रहे कार्यो का पर्यवेक्षण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के इन्जीनियर्स द्वारा पूर्वानुसार किया जायेगा। कन्वर्जेन्स मे मुख्य योजना एवं इसकी सहयोगी योजना का समय–समय पर निरीक्षण दोनो योजनाओ के लिए नियुक्त स्वतंत्र क्वालिटी मॉनीटर द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायत का लेखा पंचायत एक्ट के नियमों के तहत संधारित किया जायेगा, प्रत्येक योजना के आय–व्यय के लिये अलग–अलग लेजर संधारित किये जावेगें। लेखों का अंकेक्षण पूर्वानुसार संबंधित एजेन्सी तथा महालेखाकार, पंचायत के अंकेक्षक आदि के द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक योजना के लिये उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न प्रपत्र में संबंधित योजना/प्रभारी अधिकारी को ग्राम पंचायत द्वारा भेजा जायेगा।

सहपत्रः– उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रारूप

(प्रदीप भार्गव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ0 क्र0 1435/22/वि–7/ग्रा.रो.यो./2007
भोपाल, दिनांक 25/01/2007

प्रतिलिपिः–

1. विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
4. मुख्य अभियंता, आर.ई.एस./एन.आर.इ.जी. विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल।
5. संयुक्त आयुक्त (वि–7) ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, विकास आयुक्त कार्यालय।
6. मुख्य लेखाधिकारी, एन.आर.इ.जी. योजना, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
7. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
10. विकास आयुक्त कार्यालय की समस्त शाखाए,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रेषित।

(प्रदीप भार्गव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
## पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल

क्र. 3136/22/वि–7/MPREGS/2007 भोपाल, दिनांक 26/2/2007

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला/जिला पंचायत-- झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल,
बड़वानी, खरगौन, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट,
छतरपुर, बैतूल, खंडवा, श्योपुर, धार, सिवनी, सतना एवं डिण्डौरी,
मध्यप्रदेश।

**विषयः मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत चिन्हांकित स्व सहायता समूहों को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में राशि की उपलब्धता।**

NREGA के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश की कंडिका कमांक 5.2.2 के अनुसार स्व सहायता समूहों को कियान्वयन एजेंसी बनाया जा सकता है। मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यों के कियान्वयन हेतु राज्य शासन ने स्व सहायता समूहों को भी कियान्वयन एजेंसी नामांकित किया है। स्व सहायता समूहों के द्वारा ग्राम पंचायतों में पौध शाला की स्थापना, पौधों का विकय, सड़कों/नहरों के किनारे वृक्षारोपण एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची–1 में दर्शाए गए अन्य कार्यों का कियान्वयन कराया जा सकता है।

जिला कार्यकम समन्वयक (जिला कलेक्टर) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक कार्य स्व सहायता समूहों के माध्यम से कियान्वित कराया जावें।

स्व सहायता समूहों को कियान्वयन एजेंसी के रूप में नामांकित किए जाने पर निम्न निर्देशों का पालन अनिवार्यतः किया जावें :–

1. चयनित स्व सहायता समूहों को ग्राम पंचायत के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जावेगी।
2. ऐसे स्व सहायता समूहों को कियान्वित एजेंसी नामांकित किया जावें, जिनके गठन को कम से कम 6 माह हो चुके हो तथा समूह की प्रथम ग्रेडिंग पूर्ण हो गई हो।
3. स्व सहायता समूह को कार्य आवंटन के पूर्व सभी सदस्यों की क्षमता का आंकलन कर लिया जावें। यदि सक्षम स्व सहायता समूह उपलब्ध नहीं हो तो कौशल उन्नयन का सघन प्रशिक्षण दिया जाकर समूहों को सक्षम बनाया जावें।
4. स्व सहायता समूहों द्वारा सामग्री इत्यादि शासकीय नियमों के अंतर्गत ही खरीदी जावेगी।
5. यदि स्व सहायता समूहों को मार्गदर्शन हेतु किसी संस्था की सेवाएं ली जाती है तो उक्त संस्था का चयन पूर्णतः पारदर्शी हो।

20.2.07

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
एवं सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

Letter-PS-11

P.T.O.

क्र. 3137-/22/वि-7/MPRLGS/2007

भोपाल, दिनांक 20/2/2007

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संभागायुक्त (उज्जैन संभाग को छोड़कर) की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, आधारताल, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
एवं सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

25

Letter-PS-H

# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल

क्र. ५०१/22/वि–7/MPREGS/2007

भोपाल, दिनांक 8/3/2007

प्रति,

**कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
**मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
जिला/जिला पंचायत– झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल,
बड़वानी, खरगौन, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट,
छतरपुर, बैतूल, खंडवा, श्योपुर, धार, सिवनी, सतना एवं डिण्डौरी,
मध्यप्रदेश।

**विषयः मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत चिन्हांकित स्व सहायता समूहों को कियान्वयन एजेंसी के रूप में राशि की उपलब्धता।**

**संदर्भः इस कार्या. का पत्र क्र. 3136/22/वि–7/MPREGS/2007, दिनांक 20/2/2007**

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। NREGA के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश की कंडिका क्रमांक 5.2.2 के अनुसार स्व सहायता समूहों को कियान्वयन एजेंसी बनाया जा सकता है। मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यों के कियान्वयन हेतु राज्य शासन ने स्व सहायता समूहों को भी कियान्वयन एजेंसी नामांकित किया है। स्व सहायता समूहों के द्वारा ग्राम पंचायतों में पौध शाला की स्थापना, पौधों का विक्रय, सड़कों/नहरों के किनारे वृक्षारोपण एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची–I में दर्शाए गए अन्य कार्यों का कियान्वयन कराया जा सकता है।

जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिला कलेक्टर) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक कार्य स्व सहायता समूहों के माध्यम से कियान्वित कराया जावें।

स्व सहायता समूहों को कियान्वयन एजेंसी के रूप में नामांकित किए जाने पर निम्न निर्देशों का पालन अनिवार्यतः किया जावें :–

1. चयनित स्व सहायता समूहों को ग्राम पंचायत के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जावेगी।
2. ऐसे स्व सहायता समूहों को कियान्वित एजेंसी नामांकित किया जावें, जिनके गठन को कम से कम 6 माह हो चुके हो तथा समूह की प्रथम ग्रेडिंग पूर्ण हो गई हो।
3. स्व सहायता समूह को कार्य आवंटन के पूर्व सभी सदस्यों की क्षमता का आंकलन

कर लिया जावें। यदि सक्षम स्व सहायता समूह उपलब्ध नहीं हो तो कौशल उन्नयन का सघन प्रशिक्षण दिया जाकर समूहों को सक्षम बनाया जावें।

4. स्व सहायता समूहों द्वारा सामग्री इत्यादि शासकीय नियमों के अंतर्गत ही खरीदी जावेगी।

5. यदि स्व सहायता समूहों को मार्गदर्शन हेतु किसी संस्था की सेवाएं ली जाती है तो उक्त संस्था का चयन पूर्णत: पारदर्शी हो।

अतः उक्त निर्देशों का पालन कढ़ाई से किया जावें।

(वसीम अख्तर)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र.५०२/22/वि–7/MPREGS/2007
भोपाल, दिनांक 8/3/2007

**प्रतिलिपि :–**

1. समस्त संभागायुक्त (उज्जैन संभाग को छोड़कर) की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रमीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, आधारताल, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(वसीम अख्तर)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Letter-Sec-H-06

# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल

क्र. 3659 /F.No. /22/वि–7/MPREGS/2007 भोपाल, दिनांक 01/3/2007

प्रति,

**कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
**मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
जिला/जिला पंचायत– झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल,
बड़वानी, खरगौन, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट,
छतरपुर, बैतूल, खंडवा, श्योपुर, धार, सिवनी, सतना एवं डिण्डौरी,
मध्यप्रदेश।

**विषयः मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत "रोजगार हेतु आवेदन" की पावती विषयक।**

**संदर्भः इस कार्या. का पत्र क. 656/22/वि–7/ग्रारो/2006 दिनांक 17.1.2006 ;**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची 2 के बिन्दु कमांक 9 एवं 10 का अवलोकन करें। जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि रोजगार की मांग करने वाले आवेदनकर्ता को आवेदन की दिनांक युक्त पावती भी दी जावेंगी। उक्त से यह स्पष्ट है कि आवेदनकर्ता को दिनांक युक्त पावती दिए जाने का वैधानिक प्रावधान है और इस प्रावधान का पालन किया जाना राज्य शासन की वैधानिक बाध्यता है।

विगत दिवस योजना से संबंधित जिलों में मेरे द्वारा भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि आवेदनकर्ता को आवेदन की पावती नहीं दी जा रही है। अधिनियम में यह स्पष्ट है कि रोजगार की मांग करने वाले आवेदनकर्ता को रोजगार की मांग दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में रोजगार उपलब्ध कराया जाना है, अन्यथा आवेदनकर्ता को बेरोजगारी भत्ता की पात्रता होगी। उपरोक्त समयसीमा के निर्धारण में उक्त पावती की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अतः यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले में रोजगार की मांग करने वाले आवेदनकर्ताओं को दिनांकयुक्त पावती दी जावें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अधिनियम में दिए गए प्रावधानों का शतप्रतिशत पालन किया जावें।

(प्रदीप भार्गव) 28.2.07
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
एवं सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

31

3660

क्र. /22/वि–1/MPREGS/2007

भोपाल, दिनांक 01/3/2007

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संभागायुक्त (उज्जैन संभाग को छोड़कर) की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रमीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, आधारताल, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
एवं सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
## पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
1, अरेरा हिल्स, तिलहन संघ भवन, भोपाल

क्र. 618 /F.No. /22/वि–7/NREGS-MP/2007 भोपाल, दिनांक 5/4/2007

प्रति,

**कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
**मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
जिला/जिला पंचायत– झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल,
बड़वानी, सारगौन, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट,
छतरपुर, बैतूल, खंडवा, श्योपुर, धार, सिवनी, सतना, डिण्डौरी,
गुना, अशोकनगर, राजगढ़, दतिया, रीवा, पन्ना, दमोह, कटनी,
छिंदवाड़ा, अनूपपुर, बुरहानपुर, हरदा एवं देवास
मध्यप्रदेश।

**विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत जॉबकार्ड विषयक।**

1. प्रदेश के चयनित 18 जिलों में दिनांक 2.2.2006 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों का कियान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के तहत "मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" का सृजन किया गया है तथा योजना का उक्त नाम ही जॉबकार्ड पर अंकित है।

भारत का राजपत्र दिनांक 6.3.2007 के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में संशोधन उपरांत योजना का नाम – **"राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश"** किया गया है। अतः यह सुनिश्चित करें कि जिले में वितरित समस्त जॉबकार्ड पर **"राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश"** की मुद्रा अंकित की जावें। ताकि अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जा सके।

यह भी सुनिश्चित करें कि योजनांतर्गत मुद्रित समस्त दस्तावेजों, अभिलेखों, पत्राचार, प्रचार–प्रसार सामग्री इत्यादि पर भी योजना का उक्त नाम ही अंकित किया जावें।

2. योजनांतर्गत शामिल 13 नवीन जिलों में से गुना, राजगढ़, दमोह, पन्ना, कटनी एवं रीवा के लिए उपलब्ध कराए गए जॉबकार्ड में भी उक्त संशोधन किए जावें।

(वसीम अख्तर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
भोपाल

पृ.क्र. 619 /F.No. /22/वि–7/NREGS-MP/2007 भोपाल, दिनांक 5/4/2007

**प्रतिलिपिः–**

1. **संभागायुक्त..... (समस्त) की ओर सूचनार्थ।**
2. **संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, आधारताल जबलपुर।**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
भोपाल

Letter-Sec-H-06

# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
## पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल

क्र. 624 /22/वि–7/MPREGS/2007 भोपाल, दिनांक 5/4/2007

प्रति,

**कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
**मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
जिला/जिला पंचायत– झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल,
बड़वानी, खरगोन, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट,
छतरपुर, बैतूल, खंडवा, श्योपुर, धार, सिवनी, सतना एवं डिण्डौरी,
मध्यप्रदेश।

**विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के तहत जॉबकार्ड विषयक।**

**संदर्भः 1. कार्या. पत्र कमांक 7629/22/वि–/ग्रारो/07 भोपाल दिनांक 26.5.06;**
**2. कार्या. पत्र कमांक 11339/22/वि–/ग्रारो/07 भोपाल दिनांक 2.8.06**

उक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि जिन परिवारों द्वारा जॉबकार्ड स्वीकार करने में असहमति व्यक्त की गई है, उनके संबंध में ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित कर उक्त जॉबकार्ड निरस्त कर दिए जावें।

दिनांक 26.3.2007 को आयोजित मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् की सशक्त समिति की बैठक में मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन द्वारा तथा उच्चाधिकारियों द्वारा जिलों में भ्रमण उपरांत अवगत कराया गया है कि जॉबकार्ड संबंधित परिवारों के पास उपलब्ध न होकर ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव के पास उपलब्ध रहता है। यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है। आपको यह अवगत होगा कि जॉबकार्ड एक वैधानिक दस्तावेज है। जिसके आधार पर संबंधित परिवार रोजगार की मांग कर सकता है।

यदि जॉबकार्ड संबंधित परिवार के पास उपलब्ध न होकर अन्यत्र संधारित है, तो उसके दुरूपयोग की प्रबल संभावनाएं भी प्रथम दृष्टया होती है। अतः जिले में मुहिम चलाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि जॉबकार्ड की उपलब्धता संबंधित परिवारों के पास ही रहें। जिन परिवारों द्वारा जॉबकार्ड लेने में असहमति की, उनसे लिखित प्रतिवेदन प्राप्त किए जावें एवं तदनुसार ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित कराकर उन्हें निरस्त किए जावें। जिलाधिकारियों को निर्देशित करें कि वे अपने भ्रमण के दौरान आकस्मिक निरीक्षण करें कि जॉबकार्ड का संधारण परिवार के पास है अथवा नहीं। यदि अपवाद स्वरूप जॉबकार्ड का संधारण अन्यत्र सरपंच/सचिव द्वारा किया जाता है, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावे।

(प्रदीप भार्गव) 5.3.07
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
एवं सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

P.T.O.

क्र. 625/22/वि–7/MPREGS/2007 भोपाल, दिनांक 5/4/2007

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संभागायुक्त (उज्जैन संभाग को छोड़कर) की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, आधारताल, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
एवं सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्



9

# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
## पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल

क्र. 626 /22/वि–7/MPREGS/2007 भोपाल, दिनांक 5/4/2007

प्रति,

**कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
**मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
जिला/जिला पंचायत– झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल,
बड़वानी, खरगौन, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट,
छतरपुर, बैतूल, खंडवा, श्योपुर, धार, सिवनी, सतना एवं डिण्डौरी,
मध्यप्रदेश।

**विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के तहत रोजगार की उपलब्धता।**

उक्त विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के तहत एक ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस के रोजगारमूलक कार्यों को कियान्वित करने का अधिकार प्रदत्त है तथा उनके द्वारा कियान्वित किए जा रहे कार्यों का विस्तृत उल्लेख जॉबकार्ड में इन्द्रांज किया जाता है। जॉबकार्ड में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु पृथक–पृथक पृष्ठ अंकित किए गए है।

चूंकि वित्तीय वर्ष 2006–07 समाप्ति पर है, अतः यह सुनिश्चित करें कि आगामी वित्तीय वर्ष (1.4.2007) से ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराए जा रहे रोजगार एवं अन्य जानकारी का इन्द्रांज वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए अंकित पृष्ठ पर ही किया जावें।

30307

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
एवं सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
भोपाल, दिनांक 5/4/2007

क्र. 627/22/वि–7/MPREGS/2007

**प्रतिलिपि :–**

1. समस्त संभागायुक्त (उज्जैन संभाग को छोड़कर) की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, आधारताल, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
एवं सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

Letter-PS-II

42

10

# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
## पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
1, अरेरा हिल्स, तिलहन संघ भवन, भोपाल

क्र. 620 /F.No. /22/वि–7/NREGS-MP/2007 भोपाल, दिनांक 5/4/2007

प्रति,

**कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
**मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
जिला/जिला पंचायत– गुना, अशोकनगर, राजगढ़, दतिया, रीवा, पन्ना, दमोह, कटनी, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, बुरहानपुर, हरदा, देवास
मध्यप्रदेश।

**विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत अभिलेख मुद्रण विषयक।**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत अभिलेख मुद्रण का कार्य जिला स्तर से कराया जाना है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि अभिलेख मुद्रण के कार्य में मध्यप्रदेश शासन के भंडार कय नियमों का अनिवार्यतः पालन किया जावें।

(वसीम अख्तर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
भोपाल

पृ.क्र. 621 /F.No. /22/वि–7/NREGS-MP/2007 भोपाल, दिनांक 5/4/2007

प्रतिलिपिः–
1. संभागायुक्त..... (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, आधारताल जबलपुर।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
भोपाल

Letter-Sec-H-06